भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2611
दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

एनसीआरबी संबंधी रिपोर्ट

†2611. श्री डी॰ रविकुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो एन॰सी॰आर॰बी॰ ने वर्ष 2017 की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) वर्ष 2016 की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपनी रिपोर्ट "भारत में अपराध" में अपराध संबंधी आंकडें प्रकाशित करता है। वर्ष 2017 के लिए "भारत में अपराध" को एनसीआरबी द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
(ख): ऊपर (क) में दिये गये उत्तर के मददेनजर प्रश्न ही नहीं उठता।
(ग): यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रकाशित आंकडे विभिन्न हितधारकों की जरूरतों के अनुकूल हो, एनसीआरबी ने अपराध संबंधी आंकडों को एकत्र करने के प्रोफार्मा को व्यापक रूप से संशोधित किया है। एनसीआरबी ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कार्मिकों को नए प्रारूपों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया है। सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों से संशोधित प्रोफार्मा में डेटा प्राप्त नहीं हुआ है।
(घ): वर्ष 2016 की रिपोर्ट सहित 'भारत में अपराध' रिपोर्ट्स में उपलब्ध आंकडों का उपयोग केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न नीतियों को तैयार करने और पहल करने के लिए किया जाता है तथा साथ ही कई अन्य हितधारकों द्वारा भी अनुसंधान प्रयोजनों आदि के लिए किया जाता है।

*****